



पत्रांक.....

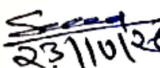
कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी, मधुबनी
बिहार शिक्षा परियोजना, मधुबनी

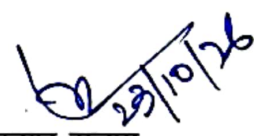
आवश्यक सूचना

राज्य परियोजना निदेशक, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद् पटना के पत्रांक 2215 दिनांक 27.04.2026 एवं पत्रांक 2544 दिनांक 20.05.2026 के आलोक में कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय में चतुर्थवर्गीय कर्मियों के नियोजन की प्रक्रिया की जा रही है। राज्य कार्यालय के द्वारा वेबसाइट के माध्यम से प्राप्त विभागीय निदेश एवं जिला नियोजन समिति के द्वारा दिनांक 27.10.2026 से 31.10.2026 तक अंतर्वीक्षा हेतु निर्णय लिया गया है। अंतर्वीक्षा का स्थान शिक्षा भवन (वाट्सन +2 उच्च विद्यालय परिसर), मधुबनी में (समय 02.00 बजे अपराह्न से 05.00 बजे अपराह्न के बीच) निम्न तालिका अनुसार अभ्यर्थियों का अंतर्वीक्षा निर्धारित किया गया है:-

क्र०सं०	अंतर्वीक्षा की तिथि	पद का नाम	कुल अभ्यर्थियों की संख्या	अभ्यर्थियों की क्र०सं० संख्या	अभ्युक्ति
01	27.10.2026	अनुसेवक/आदेशपाल	41	82 से 122 तक	
02	28.10.2026	अनुसेवक/आदेशपाल	41	123 से 163 तक	
03	29.10.2026	मुख्य रसोईया	62	01 से 62 तक	
04	30.10.2026	रात्रि प्रहरी	44	89 से 132 तक	
05	31.10.2026	रात्रि प्रहरी	44	133 से 176 तक	

- नोट:- 1. सभी अभ्यर्थी निर्धारित तिथि को अंतर्वीक्षा हेतु चिन्हित स्थान पर 11.00 बजे पूर्वाह्न उपस्थित होकर रजिस्ट्रेशन कराना सुनिश्चित करेंगे।
2. अंतर्वीक्षा स्थल पर सभी अभ्यर्थियों को (i) शैक्षणिक प्रमाण-पत्र (ii) जाति प्रमाण-पत्र (iii) आरक्षण संबंधी प्रमाण-पत्र (iv) निवास प्रमाण-पत्र (v) आधार कार्ड (vi) पैन कार्ड (अपप) अनुभव प्रमाण-पत्र (viii) आवेदन पत्र/मूल साक्ष्य (ix) जन्म संबंधी प्रमाण-पत्र (x) शारीरिक अक्षमता प्रमाण-पत्र (यदि लागू हो) की मूल प्रति के साथ एक प्रति स्व-अभिप्रमाणित छायाप्रति एवं दो पासपोर्ट साइज की फोटो (Clear Bag में) अनिवार्य रूप से लाना सुनिश्चित करेंगे।
3. सभी अभ्यर्थी अंतर्वीक्षा में NCL/SC/ST/निवास एवं शैक्षणिक प्रमाण-पत्र निर्गत तिथि आवेदन (Cut off Date) के पूर्व का अनिवार्य रूप से लाना सुनिश्चित करेंगे।
4. भविष्य में यदि संबंधित प्रमाण-पत्र अवैध पाया जाता है तो नियमानुसार कर्रवाई की जायेगी एवं उनके नियोजन को रद्द कर दिया जायेगा।
5. अंतर्वीक्षा चयन की प्रक्रिया का अनिवार्य चरण है किन्तु इसमें अभ्यर्थी का उपस्थिति को अंतिम रूप से चयन नहीं माना जायेगा।
6. निर्धारित तिथि को अभ्यर्थी अंतर्वीक्षा में भाग नहीं लेते हैं तो उनका दावा रद्द माना जायेगा।
7. साईकिल चलाने की कुशलता से संबंधित शपथ पत्र (कार्यपालक दंडाधिकारी के द्वारा निर्गत) अनुसेवक एवं रात्रि प्रहरी के अभ्यर्थी के लिए अनिवार्य होगा।
8. अंतर्वीक्षा से संबंधित विस्तृत विवरणी बिहार शिक्षा परियोजना कार्यालय, समग्र शिक्षा, मधुबनी के वेबसाइट www.bepmadhubani.org एवं जिले के वेबसाइट www.madhubani.nic से डाउनलोड किया जा सकता है।


23/10/26
समाग प्रमारी
के०जी०बी०भी०, मधुबनी


कुमार सत्यम
जिला कार्यक्रम पदाधिकारी-सह-
सदस्य सचिव, जिला नियोजन समिति,
के०जी०बी०भी०, मधुबनी।